Commentary by Kaushal Kumar Agrawal
Whats app: 9999 60 5867

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

21/2024 S 128A Page 2
22/2024 S 16(4) Page 6
23/2024 S 47 Page 9

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08102024-257760
CG-DL-E-08102024-257760

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4013] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 8, 2024/आश्विन 16, 1946
No. 4013] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 8, 2024/ASVINA 16, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2024

सं. 21/2024-केंद्रीय कर

का.आ. 4372(अ).—केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (उक्त अधिनियम) की धारा 128क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ(3) में विनिर्दिष्ट संबंधित तारीख को वह तारीख अधिसूचित करती है, जिस तक उक्त धारा के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट सूचना या कथन या आदेश के अनुसार देय कर का भुगतान,यथास्थिति,उक्त सारणी के स्तंभ(2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के वर्ग द्वारा किया जा सकता है, अर्थात:-

सारणी

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का वर्ग	वह तारीख, जिस तक उक्त अधिनियम की धारा 128क के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट सूचना या कथन या आदेश के अनुसार देय कर का भुगतान,यथास्थिति, उक्त

		धारा के अधीन ब्याज या शास्ति या दोनों की छूट के लिए किया जा सकता है।
(1)	(2)	(3)
1	ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 128क के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट सूचना या कथन या आदेश जारी किया गया है।	31.03.2025
2	ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 128क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के संबंध में धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी की गई है और धारा 75 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में उचित अधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति द्वारा देय कर के निर्धारण के लिए आदेश पारित किया गया है या पारित किया जाना अपेक्षित होता है, यह मानते हुए कि सूचना उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई थी।	उक्त अधिनियम की धारा 73के अधीन कर का पुनर्निर्धारण करने वाले समुचित अधिकारी द्वारा आदेश जारी करने की तारीख से छह माह पूरे होने पर समाप्त होने वाली तारीख ।

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर ,2024 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. सीबीआईसी-20006/20/2023-जीएसटी]

राघवेन्द्र पाल सिंह, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2024

No. 21/2024–Central Tax

S.O. 4372(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 128A of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (the said Act), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the respective date specified in Column (3) of the Table below, as the date upto which payment for the tax payable as per the notice, or statement, or the order referred to in clause (a) or clause (b) or clause (c) of the said section, as the case may be, can be made by the class of registered person specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, namely:–

TABLE

Sl. No.	Class of registered person	Date upto which payment for the tax payable as per the notice or statement or the order referred to in clause (a) or clause (b) or clause (c) of section 128A of the said Act, as the case may be, can be made for waiver of interest, or penalty, or both, under the said section.
(1)	(2)	(3)
1	Registered persons to whom a notice or statement or order, referred to in clause (a) or clause (b) or clause (c) of section 128A of the said Act, has been issued.	31.03.2025
2	Registered persons to whom a notice has been issued under sub-section (1) of section 74, in respect of the period referred to in sub-section (1) of section 128A of the said Act, and an order is passed or required to be passed by the proper	Date ending on completion of six months from the date of issuance of the order by the proper officer redetermining tax under section 73 of the said Act.

	officer in pursuance of the direction of the Appellate Authority, or Appellate Tribunal, or a court, in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 75, for determination of the tax payable by such person, deeming as if the notice were issued under sub-section (1) of section 73 of the said Act.	

2. This notification shall come into effect from the 1st day of November, 2024.

[F. No. CBIC-20006/20/2023-GST]

RAGHAVENDRA PAL SINGH, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2024

सं. 22/2024-केंद्रीय कर

का.आ. 4373(अ).— केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, परिषद की सिफारिशों पर,जिसका पालन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त व्यक्ति कहा गया है) द्वारा किया जाना है, जिनके विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 या धारा 107 या धारा 108 के अधीन कोई आदेश जारी किया गया है, जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 16की उपधारा (4) के उपबंधों के उल्लंघन के कारण इनपुट कर प्रत्ययका गलत लाभ उठाने की मांग की पुष्टि की गई है, किंतु जहां ऐसा इनपुट कर प्रत्यय अब उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (5) या उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसार उपलब्ध है, और जहां उक्त आदेश के विरुद्ध अपील फाईल नहीं की गई है, आदेश के सुधार के लिए निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित करती है अर्थात्:-

2. उक्त व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (4) के उपबंधों के उल्लंघन के कारण इनपुट कर प्रत्यय के गलत लाभ की मांग की पुष्टि करते हुए इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल पर, यथास्थिति, उक्त अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 या धारा 107 या धारा 108 के अधीन आदेश के सुधार के लिए आवेदन फाईल करेगा, लेकिन जहां ऐसा इनपुट कर प्रत्यय उक्त अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के उपबंधों के अनुसार अब उपलब्ध है, और जहां उक्त आदेश के विरुद्ध अपील दायर नहीं की गई है।

3. उक्त व्यक्ति, उक्त आवेदन के साथ, इस अधिसूचना के **उपाबंध क** में दिए गए प्रारूप में जानकारी अपलोड करेगा।

4. उक्त आदेश के सुधार को लागू करने के लिए उचित अधिकारी वह प्राधिकारी होगा जिसने ऐसा आदेश जारी किया था, और उक्त प्राधिकारी उक्त आवेदन पर विनिश्चय करेगा और उक्त आवेदन की तारीख से, जहां तक संभव हो, तीन महीने की अवधि के भीतर सुधारा हुआ आदेश जारी करेगा।

5. जहां पैरा 1 में निर्दिष्ट आदेश में कोई सुधार किया जाना अपेक्षित है,उक्त प्राधिकारी ने उसका सुधारित आदेश जारी कर दिया है, तो उक्त प्राधिकारी सुधारित आदेश का सारांश इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपलोड करेगा –

(i)प्ररूप जीएसटी डीआरसी-08 में, ऐसे मामलों में जहां उक्त अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 के अधीन जारी आदेश में सुधार किया गया है; और

(ii)प्ररूप जीएसटी एपीएल-04 में, ऐसे मामलों में जहां उक्त अधिनियम की धारा 107 या धारा 108 के अधीन जारी आदेश में सुधार किया गया है।

6. सुधार केवल ऐसे इनपुट कर प्रत्यय की मांग के संबंध में किया जाना अपेक्षित है, जो की कथित तौर पर उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) के उपबंधों का उल्लंघन कर गलत रीति से प्राप्त किया गया है, किन्तु जहां ऐसा इनपुट कर प्रत्यय अब उक्त धारा 16 की उपधारा (5) अथवा उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसार उपलब्ध है।

7. जहां ऐसे सुधार से उक्त व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वहां ऐसा सुधार करने वाले प्राधिकारी द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

उपाबंध क

केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 के अधीन अधिसूचित आदेश के सुधार के लिए विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अधीन आदेश के सुधार के लिए आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा अपलोड किया जाने वाला प्ररुप

1. आधारभूत ब्यौरे :

(क) जीएसटीआईएन :

(ख) विधिक नाम :

(ग) व्यापार का नाम, यदि कोई हो :

(घ) आदेश जिसके संबंध में सुधार का आवेदन फाईल किया गया है :

(1) आदेश संदर्भ संख्यांक :

(2) आदेश तारीख :

2. उक्त आदेश में पुष्ट किए गए मांग के ब्यौरे

(रु. में रकम)

क्र. सं.	वित्त वर्ष	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	उपकर सहित कुल कर	ब्याज	शास्ति
	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017-18							
	2018-19							
	2019-20							
	2020-21							
	2021-22							
	2022-23							
	कुल							

3. उपरोक्त क्रम संख्यांक 2 की सारणी में उल्लिखित रकम में से :

(क) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (उक्त अधिनियम) की धारा 16 की उपधारा (4) के उल्लंघन के कारण गलत तरीके से प्राप्त निवेश कर प्रत्यय की उक्त आदेश में पुष्ट किए गए मांग के ब्यौरे जो अब धारा 16 की उपधारा (5) के अनुसार पात्र है :

(रु. में रकम)

क्र. सं.	वित्त वर्ष	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	उपकर सहित कुल कर	ब्याज	शास्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017-18							
	2018-19							
	2019-20							
	2020-21							
	कुल							

और/या

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) के उल्लंघन के कारण गलत तरीके से प्राप्त निवेश कर प्रत्यय के उक्त आदेश में पुष्ट किए गए मांग के ब्यौरे, उपरोक्त (क) में उल्लिखित से भिन्न, जो अब धारा 16 की उपधारा (6) के अनुसार पात्र है :

(रु. में रकम)

क्र. सं.	वित्त वर्ष	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	उपकर सहित कुल कर	ब्याज	शास्ति
	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017-18							
	2018-19							
	2019-20							
	2020-21							
	2021-22							
	2022-23							
	कुल							

4. **<u>घोषणा:</u>**

1. मैं वचन देता हूँ / देती हूँ कि, उक्त अधिनियम की धारा 107 या धारा 112 के अधीन कोई अपील उस आदेश के विरुद्ध लंबित नहीं है जिसके विरुद्ध यह सुधार आवेदन फाईल किया गया है ।

2. मैं घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रदान की गई सूचना सही और सत्य है । मैं समझता हूँ / समझती हूं कि किसी भी असत्य घोषणा या तथ्यों को छिपाने से यह आवेदन शून्य हो जाएगा और बकाया शोध्यों के साथ लागू ब्याज और शास्तियों के लिए वसूली की कार्यवाही की जा सकती है।

5. **<u>सत्यापन</u>**

मैं ....(प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम), घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि ऊपर दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है । मैं समझता हूँ / समझती हूँ कि किसी असत्य घोषणा या तथ्यों को छिपाने से मेरा आवेदन शून्य हो जाएगा ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम/पदनाम

ईमेल पता

मोबाईल नं.

[फा. सं. सीबीआईसी-20006/20/2023-जीएसटी]

राघवेन्द्र पाल सिंह, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2024

No. 22/2024– CENTRAL TAX

S.O. 4373(E).—In exercise of the powers conferred under the section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the following special procedure for rectification of order, to be followed by the class of registered persons (hereinafter referred to as the said person), against whom any order under section 73 or section 74 or section 107 or section 108 of the said Act has been issued confirming demand for wrong availment of input tax credit, on account of contravention of provisions of sub-section (4) of section 16 of the said Act, but where such input tax credit is now available as per the provisions of sub-section (5) or sub-section (6) of section 16 of the said Act, and where appeal against the said order has not been filed, namely:–

Order passed in DRC 07 : File rectification application and proforma in Annexure A to relevant authority (PO/ AA) by 08.02.2025.

2. The said person shall file, electronically on the common portal, within a period of six months from the date of issuance of this notification, an application for rectification of an order issued under section 73 or section 74 or section 107 or section 108 of the said Act, as the case may be, confirming demand for wrong availment of input tax credit, on account of contravention of provisions of sub-section (4) of section 16 of the said Act, but where such input tax credit is now available as per the provisions of sub-section (5) or sub-section (6) of section 16 of the said Act, and where appeal against the said order has not been filed.

The relevant authority shall take decision within 3 month and upload the summary in DRC 08 / APL 04

3. The said person shall, along with the said application, upload the information in the proforma in **Annexure A** of this notification.

4. The proper officer for carrying out rectification of the said order shall be the authority who had issued such order, and the said authority shall take a decision on the said application and issue the rectified order, as far as possible, within a period of three months from the date of the said application.

5. Where any rectification is required to be made in the order referred to in paragraph 1 and, the said authority has issued a rectified order thereof, then the said authority shall upload a summary of the rectified order electronically–

(i) in FORM GST DRC-08, in cases where rectification of an order issued under section 73 or section 74 of the said Act is made; and

(ii) in FORM GST APL-04, in cases where rectification of an order issued under section 107 or section 108 of the said Act is made.

6. The rectification is required to be made only in respect of demand of such input tax credit which has been alleged to be wrongly availed in contravention of provisions of sub-section (4) of section 16 of the said Act, but where such input tax credit is now available as per the provisions of sub-section (5) or sub-section (6) of the said section 16.

7. Where such rectification adversely affects the said person, the principles of natural justice shall be followed by the authority carrying out such rectification.

Annexure A

Proforma to be uploaded by the registered person along with the application for rectification of order under special procedure for rectification of order notified under section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017)

1. Basic Details:

(a) GSTIN:

(b) Legal Name:

(c) Trade Name, if any:

(d) Order in respect of which rectification application has been filed:

(1) Order Reference Number:

(2) Order Date:

2. Details of demand confirmed in the said order:

The whole demand order to be uploaded of all issues

If the order is issued under Section 73 then first apply for S 16(4) and then apply for S 128A

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Financial Year	IGST	CGST	SGST	CESS	Total Tax including Cess	Interest	Penalty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017-18							
	2018-19							
	2019-20							
	2020-21							
	2021-22							
	2022-23							
	Total							

3. Out of the amount mentioned in the Table in serial number 2 above:

(a) the details of the demand confirmed in the said order, of the input tax credit wrongly availed on account of contravention of sub-section (4) of section 16, which is now eligible as per sub-section (5) of section 16 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (the said Act):

Credit available till 30.11.2021

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Financial Year	IGST	CGST	SGST	CESS	Total Tax including Cess	Interest	Penalty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017-18							
	2018-19							
	2019-20							
	2020-21							
	Total							

and/or

(b) the details of the demand confirmed in the said order of the input tax credit wrongly availed on account of contravention of sub-section (4) of section 16, other than that mentioned in (a) above, which is now eligible as per sub-section (6) of section 16 of the said Act:

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Financial Year	IGST	CGST	SGST	CESS	Total Tax including Cess	Interest	Penalty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017-18							
	2018-19							
	2019-20							
	2020-21							
	2021-22							
	2022-23							
	Total							

Where registration of a registered person is cancelled under section 29 and subsequently the cancellation of registration is revoked by any order, either under section 30 or pursuant to any order made by the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or court and where availment of input tax credit in respect of an invoice or debit note was not restricted under section 16(4) on the date of order of cancellation of registration, the said person shall be entitled to take the input tax credit in respect of such invoice or debit note for supply of goods or services or both, in a return under section 39,—
(i) filed upto 30th November following the financial year to which such invoice or debit note pertains or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier; or

(ii) for the period from the date of cancellation of registration or the effective date of cancellation of registration, as the case may be, till the date of order of revocation of cancellation of registration, where such return is filed within thirty days from the date of order of revocation of cancellation of registration,

whichever is later.

4	**Declaration:** **1.** I undertake that, no appeal under section 107 or section 112 of the said Act is pending against the order against which this rectification application is filed. **2.** I declare that all information provided by me is accurate and truthful. I understand that any incorrect declaration or suppression of facts will render this application void and may lead to recovery proceedings for the outstanding dues along with applicable interest and penalties.

5	**Verification:** I________________ (name of the authorised signatory), hereby declare that the information provided above is true and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that any incorrect declaration or suppression of facts will render my application void.

Signature of authorised signatory

Name/Designation

Email address

Mobile No.

[F. No. CBIC-20006/20/2023-GST]

RAGHAVENDRA PAL SINGH, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2024

सं. 23/2024-केंद्रीय कर

का.आ. 4374(अ).— केंद्रीय सरकार, माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड की अधिसूचना जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), संख्यांक 366 (अ), तारीख 1 जून 2021 (सं. 22/2021-केंद्रीय कर) द्वारा प्रकाशित की गई थी को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, परिषद की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 47 के तहत देय विलंब फीस की राशि को, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जिनके लिए अधिनियम की धारा 51 के प्रावधानों के तहत स्रोत पर कर कटौती करना आवश्यक है, माह जून, 2021 से, प्ररूप जीएसटीआर-7 में नियत तारीख तक विवरणी प्रस्तुत करने की विफलता के लिए, उस अवधि के लिए जिस के दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है, जो कि पच्चीस रुपये प्रतिदिन से अधिक है का अधित्यजन करती है:

परंतु यह कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के तहत कुल देय विलंब फीस कि राशि, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए, माह जून, 2021 से, नियत तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर-7 में विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के लिए, जो एक हजार रुपये से अधिक है, का अधित्यजन किया जाता है ।

परंतु यह और कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के तहत कुल देय विलंब फीस कि राशि, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के किसी मास के प्ररूप जीएसटीआर-7 में नियत तारीख तक विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के लिए, जब उक्त मास में स्रोत पर कटौती किए गए केंद्रीय कर की कुल रकम शून्य है, का अधित्यजन किया जाता है ।

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2024 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. सीबीआईसी-20006/20/2023-जीएसटी]

राघवेन्द्र पाल सिंह, निदेशक

NOTIFICATION

Original late fees
Rs. 200 per day
max Rs. 10,000

Revised Late fees
Rs. 25 per day max Rs. 2000
In case of Nil return late fees is Nil

New Delhi, the 8th October, 2024

No. 23/2024–Central Tax

S.O. 4374(E).—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), Central Board of Indirect Taxes and Customs published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 366(E), dated the 1 June, 2021 (No.22/2021-Central Tax), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable under section 47 of the said Act by any registered person, required to deduct tax at source under the provisions of section 51 of the said Act, for failure to furnish the return in FORM GSTR-7 for the month of June, 2021 onwards, by the due date, which is in excess of an amount of twenty-five rupees for every day during which such failure continues:

Provided that the total amount of late fee payable under section 47 of the said Act by such registered person for failure to furnish the return in FORM GSTR-7 for the month of June, 2021 onwards, by the due date, shall stand waived which is in excess of an amount of one thousand rupees:

Provided further that the total amount of late fee payable under section 47 of the said Act by the registered person, who fails to furnish the return in FORM GSTR-7 for a month by the due date, where the total amount of central tax deducted at source in the said month is nil, shall stand waived.

2. This notification shall come into force on the 1st day of November, 2024.

[F. No.CBIC-20006/20/2023-GST]

RAGHAVENDRA PAL SINGH, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.